कार्यालय- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।

पत्रांकः- 360 (म०) डी0आर0डी0ए0, दिनांकः- 08-07-15

(68)

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
लातेहार।

सेवा में,

सचिव,
उद्योग विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची।

विषयः- CSR की बैठक में कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुपस्थित रहने के संबंध में।

प्रसंगः- भवदीय कार्यालय पत्रांक- 88/c दिनांक-29.06.2015

DD (Dusti)

21 JUL 2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक-27.06.2015 को उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं जिला में अवस्थित Corporate/ कम्पनियों के प्रतिनिधियों को इस कार्यालय के पत्रांक-1228 दिनांक-24.06.2015 (डी0आर0डी0ए0) के माध्यम से बैठक बुलाई गई थी।

उक्त बैठक में सी0सी0एल0, तेतरियाखांड़, एवं एस्सार, चन्दवा के प्रतिनिधि एवं जिलास्तरीय पदाधिकारी हीं उपस्थित हुए जिनके साथ CSR संबंधी विषयों पर चर्चा किया गया, अन्य कम्पनियों यथा सिकनी कोईलवरी, हिन्डालको, आम्रपाली, आधूनिक ग्रुप, मगध कोल माईन्स, अभिजित ग्रुप, के कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण समेकित रूप से CSR संबंधी उक्त वर्णित कम्पनियों द्वारा किए जानेवाले कार्य एवं संबंधित अन्य बिन्दुओं पर निर्णय नहीं लिया जा सका है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः- कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

7.7.15

उप विकास आयुक्त,
लातेहार।

सचिव कोषांग
आवती संख्या 1238
प्राप्ति तिथि 20/7/15
उद्योग विभाग, झारखण्ड, रांची

D:YEAR2015/NRLM/LETTER

उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में दिनांकः-27.06.2015 को आहुत CSR (Corporate Social Responsibility) समिति गठित करने संबंधी बैठक की कार्यवाहीः-

उपस्थितिः- पंजीनुसार

आज दिनांक-27.06.2015 को उपायुक्त, लातेहार के कार्यालय वेश्म में सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-88/c दिनांक-29.06.2015 के आलोक में जिला स्तरीय CSR (Corporate Social Responsibility) समिति गठन करने एवं तत्संबंधी अन्य कियाविधि हेतु बैठक किया गया।

2. सर्वप्रथम उपायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया गया तत्पश्चात CSR के संबंध में श्री रितेश कुमार (जिला परियोजना पदाधिकारी, DOIT) के द्वारा Power Point Presentations के माध्यम से Corporate Social Responsibility के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक बताया गया।

3. उक्त बैठक में एम0 टोप्पो स्टाफ आफिसर, सी0सी0एल0, तेतरियाखांड़, एवं विकास चन्द्र यादवेन्दु, प्रबंधक, एस्सार, चन्दवा हीं उपस्थित थे अन्य कम्पनियों यथा सिकनी कोईलवरी, हिन्डालको, आम्रपाली, आधूनिक ग्रुप, मगध कोल माईन्स, अभिजित ग्रुप, के कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहने पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया तथा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले सभी कम्पनियों के विरूद्ध सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार को प्रतिवेदित करने हेतु श्री ज्ञानेश्वर शुक्ला, परियोजना पदाधिकारी, को निदेश दिया गया।

4. सी0सी0एल0, तेतरियाखांड़, बालूमाथ के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि CSR के तहत पलामू जिले में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है तथा चालु वित्तीय वर्ष में 29.00 लाख रू0 का बजट स्वीकृत हुआ है इस पर बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा CCL की क्रिया प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की गई। उपायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया गया कि यदि CCL द्वारा खनन का कार्य लातेहार में हो रहा है, तथा खनन से होनेवाले दुष्प्रभाव का शिकार लातेहार जिला हो रहा है, तो CSR की राशि लातेहार जिले में हीं खर्च करना होगा न कि अन्य जिले में। साथ हीं प्रावधानित राशि को अव्यवहारिक बताते हुए कम्पनी को हुए वास्तविक लाभ के आलोक में प्रावधानानुसार CSR पर राशि खर्च करने का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त कम्पनी का Balance Sheet वर्षवार हुए Activity, Income Tax Return तथा 2015-16 में कम्पनी द्वारा किए जानेवाले कार्य विवरणी की मांग की गई।

5. एस्सार चन्दवा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस कम्पनी के द्वारा CSR के तहत गत वर्ष Skill Development, Livelihood, Health आदि क्षेत्र में कार्य किया गया जिस पर 30.00 लाख रू0 व्यय हुआ है। साथ हीं बताया गया कि कम्पनी द्वारा power Plant लगाने की योजना चल रही है। अभी उत्पादन शुरू नही हुआ है।

उपायुक्त द्वार सुझाव दिया गया कि कम्पनी CSR के तहत चन्दवा प्रखण्ड में ODF (स्वच्छ भारत मिशन) क्षेत्र में सघन रूप से कार्य करे।